International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 2; March 2017; Page No. 105-108

महिला सशक्तिकरण की प्रासंगिकता

मनोज कुमार

Department of History University of Rajasthan, India

प्रस्तावना

समाज–सुधरकों, मनौवैज्ञानिकों एवं राजनीतिज्ञों ने अलग–अलग आन्दोलनों द्वारा समाज में फैली कुरीतियों के प्रति ध्यान आकृष्ट कराया और उन्हें त्यागने की प्ररेणा दी। इस प्रेरणा ने नारी के हृदय में विद्रोह ही ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया और इन कुरूपताओं को नष्ट करने का प्रयास करने लगी, जिससे समाज में स्वतन्त्रता समानता और भाई–चारे के सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा हुई। नीवन विचार धाराओं ने उन्हें प्रगति की ओर अग्रसर कर दिया। इन समस्त समाज सुधारकों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप और असीम संघषों के पश्चात् भारतीय नारी शताब्दियों की परतन्त्रता की बेड़ी के बन्धन से मुक्त हुई उसने सार्वजनिक जीवन मे प्रवेश किया, जिससे वह पति सेवा में अतिरिक्त राष्ट्र, जाति एवं कार्य आदि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझ सकी। अपने अधिकारों के प्रति उसमें जागरूकता उत्पन्न हुई। उसने घर की चारदीवारी को लांघकर परम्परागत सीमाओं को तोड़, समाज में अपने महत्वपूर्ण योगदान द्वारा नवीनता को प्रतिस्थापित किया। पाश्चात्य प्रभावों द्वारा स्वतन्त्र अस्तित्व की स्थापना का प्रयास किया तथा युगों से पुरूषों तले दबे अधिकारों को चुनौती दी। शिक्षा ने उसमें आत्मविश्वास का संचार किया। आज की नारी अपने नवीन रूप में पुरातन मूल्यो की नकारने एवं सामाजिक आग्रहों को तोड़ने की चेष्टा मे रत है। उसकी क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए महादेवी वर्मा ने कहा है। ''वह अपनी कोमल भावनाओं को जीवित रखकर भी कठिन से कठिन उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकती है, दुर्वह कर्त्तव्य का पालन कर सकती है और दुर्गभ मे दुर्गभ कर्मक्षेत्र में ठहर सकती है।

आज की नारी के सम्बन्ध में यह उक्ति अत्यन्त उपयुक्त है। उसकी इस उन्नति को देखते हुए यदि 'महिला जागरण का युग'' कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः कहा जा सकता है कि आज की नारी पुरूष के विस्तृत अधिकार क्षेत्र की प्राचीरो को तोड़ने मे प्रयासरत है तथा स्वेच्छानुसार अपने व्यक्तित्व निर्माण की ओर अग्रसर है। बीजिंग सम्मेलन, 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति बनायी गयी नौवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना था। नारी सशक्तीकरण का अर्थ है सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। इस प्रकार सशक्तीकरण एक मानसिक अवस्था है जिसकी पहली कसौटी निर्भयता। यह सर्वमान्य एवं सर्वानुभूत तथ्य है कि महिला सदियों से भेदभाव एवं शोषण सहते–सहते निशक्त हो गयी है। स्त्री और पुरूष एक ही इकाई क दो हिस्से है तथापि इसमें असामनता बनी हुई है।

वैदिक युग से लेकर आज तक भारतीय समाज की धुरी पुरूष ही रहा है। मानव विकास के सभी मुख्य मानदण्डों ज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य, राजनीति, उद्योग, कृषि, व्यापार, युद्ध आदि का संचालन और मूल्यांकन उसी के अनुरूप होता आया है, पर पिछली सदी के मानव चेतना मे बाहरी और भीतरी स्तर पर तीव्र आन्दोलन हुए है और बहुत सी बातें जो पचास वर्ष पहले तक सपना प्रतीत होती थी अब ठोस यथार्थ बन गयी हैं। यह परिवर्तन वस्तुगत एवं भागवत दोनों स्तरों पर हुआ है। नारी सम्बन्धी सोच में अभी तक आये बदलाव मे जनसंचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है साथ ही महिलाओं द्वारा जनसंचार माध्यम में उपयोगी एवं क्रियाशील भूमिका निभाये जाने से भी उनके आत्मविश्वास का स्तर तेजी से ऊपर उठा है। समय और समाज के संदर्भ मे सजग रहकर नागरिकों के दायित्व बोध कराने की कला ही पत्रकारिता एवं जनसंचार है।

जनसंचार समाज को नयी दिशा प्रदान करता है। असत्य, अशिव और असुन्दर पर सत्यं, शिवम्, सुन्दरम् का पावन शंखनाद ही पत्रकारिता एवं जनसंचार है। जैसे–जैसे जीवन की विविधता और नूतन साधनों का विकास हुआ, पत्रकारिता का दायरा भी बहुआयामी होता गया। जैसे रेडियो, टी.वी., आर्थिक, ग्रामीण, सन्दर्भ, संसदीय, फोटो, सर्वोदय पत्रकारिता आदि।

परन्तु अब बदलते परिवेश मे बदलती मानसिकता एवं जनसंचार के द्वारा प्रभावशाली महिलायें ही इस अघोषित नियन्त्रण के घेरे को तोड़कर पुरूषों के लिए आरक्षित विषयों में प्रवेश कर पायी है। पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक मान्यतायें और नैतिकता के प्रचलित मानदण्ड महिलाओं को जोखिम वाले तथा देर रात तक घर से बाहर रहने की मांग करने वाले कार्यो को सम्भालने से निरूत्साहित करते है। परन्तु मुख्य बाधा उनकी अपनी इच्छा या अनिच्छा नहीं वरन यह परम्परागत दृष्टिकोण है कि जब भी किसी तथा कठिन या सरल काम में चयन करना हो तो पहली तरह का काम पुरूष एवं दूसरी तरह का महिला के लिये उपयुक्त माना जाता है।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में नारी की इस विकास यात्रा पर चिंतन–मनन के बाद यह पता चलता है कि आज जो मुकाम नारी जगत ने हासिल किया है वह भारत के लिए गौरव की बात है। इन विशिष्ट नारियों ने अपनी सफलता के परचम देश–विदेश में फहरायें हैं। 21वीं सदी में भारत की इन प्रमुख शिखरोन्मुखी नारियों का जीवन–दर्शन वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणास्पद अध्याय है। किन्तु बहुसंख्यक आबादी आज भी समस्याओं से ग्रसित है। उनके उत्थान हेतु अनेक आन्दोलन एवं शासकीय प्रयास किये जा रहे है तब भी संतोषजनक परिणाम समाने नहीं आ पा रहे है। इन्हीं बिन्दुओं पर केन्द्रित होकर मैंने यह शोध–आलेख प्रस्तुत करने का एक छोटा या प्रयास किया है। इसके लिए संदर्भ सामग्री के रूप में पत्र–पत्रिकाएं, जीवनी ग्रन्थ एवं इतिहास ग्रन्थ, टेलीविजन से प्राप्त जानकारियों की सहायता ली गई है। भारत मे नारी उत्थान का प्रथम चरण स्वतंत्रता आंदोलन काल में दिखाई पड़ता है।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में अनेक स्वयंसेवी संगठनो एवं राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनेक नारी समस्याओं को उठाया गया। जैसे दहेज, घरेलू, हिंसा, बलात्कार, आत्महत्या आदि। फलतः नारी आंदोलनों का भी अभ्युदय हुआ। किन्तु इसका स्वरूप शांत, सृजनात्मक एवं सुदृढ़ीकरण की नींव पर आधारित था। नारी उत्थान के आंदोलनात्मक प्रयास निम्नांकित हैः

- 1970 के दशक के स्वायत्त महिला दलों का आंदोलन आरम्भ हुआ।
- 1972 में ग्रामीण झील आदिवासी द्वारा शराबी पतियों के विरूद्ध आंदोलन चलाया गया। सुन्दरलाल बुहुगुणा के 'चिपको आंदोलन' में भी पर्यावरण रक्षा के उद्देश्य से महिलाओं ने भागीदारी निभायी।
- 1973–75 के बीच मूल्यवृद्धि विरोधी का सृजन महाराष्ट्र की कम्युनिस्ट व सोशलिस्ट महिलाओं ने किया।
- 1946–47 मे बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन के दौरान 'नारी वाहिनी' बनाई गयी।
- 1946–50 के बीच तेलंगाना आंदोलन मे महिलाओं के ऊपर होने वाली घरेलू हिंसा का सवाल उठाया गया। यद्यपि यहां पर नारी क्षमता पर आधारित नेतृत्व स्वीकार करने के बजाय 'महिला मोर्चे' पर काम करने के लिए उन पर दबाव डाले गये।
- 1954 में कम्युनिस्ट महिलाओं ने राष्ट्रीय महिला फेडरेशन बनाया। महिलाओं ने किसान, आदिवासी, ट्रेड यूनियन और पर्यायवरण संबंधी आंदोलनो में भूमिका निभाई।
- 1947 में हैदराबाद मे उस्मानिया विश्वविद्यालय का प्रगतिशील महिला संगठन बना।
- 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व महिला वर्ष की घोषणा की गई तथा 8 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व महिला दिवस मनाया जाने लगा।
- 1975 मे बम्बई मुक्ति संगठन तथा पुणे में पुरोगामी स्त्री संगठन बने।
- 1977 मे आपात काल की घोषणा के बाद दिल्ली में एक ऐसे संगठन की स्थापना की गई जिसमें 'मानुषी' नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाने लगा। इस पत्रिका ने महिला आंदोलनों के दस्तावेजों का संरक्षण एवं प्रकाशन आरंभ किया है। इसमें मधु किश्वर का योगदान सराहनीय है।
- 1981 में ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसियेशन ने महिला उत्पीड़न के खिलाफ घर–घर जाकर अभियान चलाया। इसके बाद राजस्थान में सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ।
- 1988 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में योजनाएं तैयार की गई।
- 1989 में पंचायती राज बिल पेश किया गया। यद्यपि यह 1993 मे पास हो सका। इसमे महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें, आरक्षित की गई। इसमें ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने का प्रयोजन है।
- 1980 के दशक में जन अभियानों के बजाय महिलाओं की सहायता हेतु महिला सेलों की स्थापना, सलाह केन्द्र, दस्तावेज एकत्रित करना, शोध कार्य एवं प्रकाशन पर महत्त्व देना आरंभ किया गया। दिल्ली में 'सहेली' नामक संस्था ने महिला समस्याओं के साथ–साथ उनके सुख–दुख पर ध्यान देना आरंभ किया। आपत्तिजनक विज्ञापनों, स्वास्थ्य समस्याओं, भ्रूण हत्याओं पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। हैदरबाद में 'अन्वेषी' नामक संस्था ने महिलाओं की समस्यायें उठाई। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फार वीमेन्स स्टडीज का पाठ्यक्रम चलाया गया तथा शोधकार्य और दस्तावेज संग्रह करने को प्रेरित किया गया।

मानव संसाधन मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक प्रतिवेदन के अनुसार ''भारत में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का बलात्कार, 51 मिनट मे छेड़छाड़, 26 मिनट में बदसलूकी, 120 मिनट मे दहेज के कारण हत्या होती है। 40 प्रतिशत से अधिक विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है।''

भारत में नारी उत्थान में निम्नाकिंत महत्वपूर्ण समस्यायें है।

- मानवाधिकारों का हनन और पर्यावरण का दुष्प्रभाव
- लैंगिक अनुपात में महिलाओं की घटती संख्या प्रति 1000 पर 940 महिलाएं (जनगणना 2011 के अनुसार)
- महिलाओं के कल्याण और विकास हेतु निर्मित सामाजिक विचारों की प्रभाव हीनता।
- ग्रामीण ढ़ाँचे के अन्तर्गत महिलाओं की विशिष्ट समस्याएं शोषण और गरीबी हीनतर सामाजिक प्रस्थिति, कठोर परिश्रम, कल्याण एवं विकास कार्यो की प्रभाव हीनता।
- निर्धनता एवं आर्थिक विषमता
- स्वास्थ्य एवं कुपोषण
- अशिक्षा
- सामाजिक भेदभाव और महिलाओं के विरूद्ध शारीरिक व मानसिक हिसां
- बालिका भ्रूण हत्या और बालिका शिशु हत्या
- दहेज हत्या और बाल विवाह
- वेश्यावृत्ति
- महिलाओं की पुरूषों पर निर्भरता

स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वंतत्रता के पश्चात् नारी उत्थान हेतु शासन द्वारा किये गये विधिक उपाय निम्नांकिंत है।

- बाल–विवाह निषेध अधिनियम 1976
- स्त्री अशिष्ट निरूपण अधिनियम 1976
- सती निषेध अधिनियम 1987
- प्रसव पूर्व निदान तकनीकि अधिनियम 1994
- भारतीय तलाक (संशोधन) अधिनियम 2001
- महिलाओं पर घरेलू हिंससा अधिनियम 2001
- परित्याक्ताओं के लिए गुजारा भत्ता (संशोधन विधेयक)2001
- हिन्दू महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकार का अधिनियम 1937
- बागान श्रम अधिनियम 1951
- खान अधिनियम 1952
- हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
- दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961/1986
- प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961
- बीड़ी एवं सिंगार कमंकार अधिनियम 1966
- ठेका श्रम अधिनियम 1970
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976

पुरूष के समान प्रत्येक कार्य के बराबरी का दर्जा प्रदान करने के हेतु प्रशासन द्वारा निम्नांकित कदम उठाये गये हैः–

- 1948 कारखाना अधिनियम के जरिये किसी इकाई में महिला कर्मियों की संख्या मे अधिक होने पर पालनागृह उपलब्ध करने की अनिवार्यता।
- 1948 न्यूनतम वेतन कानून का कार्यान्वयन।
- 1961 मातृत्व लाभ अधिनियम पारित करके कामकाजी महिलाओं को सवेतन प्रसूति अवकाश का प्रावधान।
- 1978 समान वेतन अधिनियम लागू करके समान कार्य के लिए समान वेतन।

- 1988 महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल शुरू।

महिलाओं को राजनीतिक रूप से सबल बनाने के लिए सर्वप्रथम अप्रैल 1993 में 73वें एवं 74 वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं एवं स्थानीय निकार्यो में प्रत्येक स्तर पर महिला सदस्यों और अध्यापकों के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गई है। ताकि देश के राजनीतिक–सामाजिक जीवन में वे साक्रिय भागीदारी निभा सकें।

इस जागरूकता में इजाफा करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संसद तथा विधान मण्डलों में एक तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु पहले 12 सितम्बर 1996 को 81वीं संविधान संशोधन विधेयक तथा पुनः 1998 में 84वां संविधान संशोधन विधेयक संसद मे प्रस्थापित किया गया। किन्तु दोनों ही बार दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण लोक सभा क विघटन के साथ ही समाप्त हो गया।

महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में एक अहम् बात यह भी है कि आरक्षण जाति–धर्म–सम्प्रदाय पर आधारित हो। वरना जो संवर्ग जिससे जुड़ा है उसको उसका लाभ ही नहीं मिल सकेगा और तब उस समुदाय का विकास उपेक्षित ही हो जायेगा।

उपरोक्त शिखरोन्मुखी नारियों की सफलता में उनके जागरूक एवं सामर्थ्यवान माता–पिता ने महती भूमिका निभाई। साथ ही भारत सरकार की नितियां एवं प्रोत्साहन भी इनके विकास का खास माध्यम रहा। आज भारत की प्रतिभाओं की जो साख अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित हो रही है, वह भी इन महिलाओं को शिखर तक पहुंचाने में सहायक है।

आज भी अवसर प्राप्त होने पर उसी भारतीय नारी ने सरोजनी नाडयू, विजय लक्ष्मी पंडित, इन्दिरा गांधी, सुषमा स्वराज्य, अरूंधती घोष के रूप में राजनीति की बागडोर संभाली है। किरण बेदी के रूप में अपराधियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का क्रांन्तिकारी कार्य किया है। बछेन्द्रीपाल और संतोष यादव के रूप में एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है। मेधा पाटकर के रूप में ज्वलन्त समस्याओं के प्रति जन जागरण किया है। सबल बजाज के रूप में मानसिकता को उजागर किया। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चैहान, गौरापंत शिवानी, अरूंध्ती राय के रूप में सशक्त लेखनी से अमिट हस्ताक्षर किए है। सोनल मानसिंह गिरिजा देवी, लता मंगेशकर के रूप में भारतीय कथा की उत्कृष्टता को विश्व के पटल पर सिद्ध किया है।

स्वयं मौन रहकर तथा मूकदर्शन बनकर यह सोचना कि अन्य व्यक्ति हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे तथा स्वयं मिल जायेंगे, मूर्खतापूर्ण चिंतन है। केवल अधिकार प्राप्त कर लेने से समस्या का समाधान नहीं होता। महिलाओं को अपनी योग्यता सिद्ध करके तथा पहल करके अधिकारों को प्राप्त करना होगा। एक बार अधिकार प्राप्त हो जाने पर उनका उपयोग करने व अधिकारों को सुरक्षित रखने का कार्य भी स्वयं महिलाओं को ही करना होगा। महिलाओं की स्थिति सुधारने में अनेक स्वयं संगठनों ने सहायता प्रदान की है। मदर टेरेसा, जिसका समाज सुधार के क्षेत्र में अमिट योगदान है। वह समाज सम्पूर्ण देश को ''वसुधैव कुटुम्बकम'' की भावना से देखती थी। भारत की उड़नपरी के नाम से विख्यात पी.टी. ऊषा जानी जाती है।

भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्दिरा गांधी ने देश को मजबूत राजनीति ढांचा प्रदान किया। महिलाओं को अपने आप ही आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर आगे का रास्ता प्रसक्त करना है। आज के बदलते परिवेश में नारी कमजोर नहीं, सशक्त है। जमाने से नारियां ऊंचे पर्दों पर कार्य कर रही है और वह सराहनीय है। भारतीय का अतीत साक्षी है कि विलक्षण प्रतिभा, बुद्धि व त्याग से भारतीय नारी ने राष्ट्र निर्माण मे महती भूमिका निभायी है।

स्त्री ईश्वर की अनूठी रचना है। स्त्री जीवन की जड़ है, इसे काटोगे तो संसार नष्ट हो जायेगा। स्त्री समाज का तारण करने वाली है, बावजूद इसके कि वह सांसारिकों के लिये भोग की वस्तु न बन जाये। संसार में ईश्वर ने स्त्री–पुरूष की संख्या लगभग बराबर रखी, परन्तु उसमें भी तथाकथित एडवांस कहे जाने वाले लोगों ने छेड़–छाड़ शुरू कर दी है। नारी के अधिकारों एवं कर्तव्यों को लेकर आदि काल से ही चर्चा होती रही है।

स्त्री शक्ति की महिला को दर्शाने वाले बहुत सारे तथ्य हमारे प्राचीन संस्कृति में देखने को मिलते है। परन्तु आज स्त्री क्या है? वास्तविकता तो यह है कि आज स्त्री को पूर्ण समझा ही नहीं जाता है। एक नारी की पहचान किसी की पुत्री किसी की पत्नी, किसी की भगिनी एवं किसी की मां के रूप मे होती है, क्यों? 21वीं सदी कें प्रायः महिला प्रयोग की वस्तु हो गयी है।

आज स्त्री शक्ति के दावे तो बहुत किए जाते है, नारी सशक्तिकरण वर्ष मनाया जाता है। परन्तु नारी उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक कि नारी स्वयं जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेगी। स्त्री के गहने, स्त्री की बेड़िया है जिसे पुरूषों ने सोची–समझी चाल के तहत बनाए रखा है। गहने पहनाकर एवं उसे सजा कर कहा जाता है कि तुम घर के अन्दर की चीज हो, तुम बाहर नहीं जा सकती। यदि स्त्री–शक्ति का जागरण किसी के कराने से होता तो अब तक हो चुका होता।

विनोबा जी ने स्वयं कहा है कि–''शहरो की जो दशा है, व अत्यन्त खतरनाक है। पढ़ी–लिखी लड़कियां शहर के रास्तों पर चलती है तो लड़के उनके पीछे लगते है उसका विरोध करने के लिये बहनों को आगे आना चाहिए। श्री विनोवा का मानना था कि स्त्रियां अपनी आत्मशक्ति, ब्रहम–शक्ति एवं धर्म शक्ति का मान रखकर सामने आयेंगी तभी दुनिया का उद्धार होगा। जो करना है, उन्हीं को करना है, उनके लिये यदि पुरूष करेगा, तो नारी कभी भी सशक्त नहीं हो पायेगी।

यदि आज की नारी को अपना वैदिक कालीन स्थान पुनः स्थपित करना है तो उन्हें कश्मीर की लल्ला, राजस्थान की मीरा, महाराष्ट्र की मुक्ता, कर्नाटक की अक्का एवं तमिलनाडु की आंडाल की भांति तपस्या कर इतिहास रचना होगा।

अन्ततः यह प्रश्न प्रासंगिक है कि स्त्री का उद्धार कैसे होगा क्योंकि स्त्री का उद्धार होगा तभी विश्व का कल्याण होगा। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है। कि स्त्री का उद्धार तभी होगा जब स्त्रियां जगेंगी और स्त्रियों में शंकराचार्य जैसी कोई प्रखर ज्ञान–वैराग्य–सम्पन्न, भक्ति–मार्गी एवं निष्ठावान स्त्री पैदा होगी। एक सामान्य सा सिद्धान्त है कि प्राणी का उद्धाार प्राणी के आत्मबल से ही होता है। परमेश्वर उसी को मदद करता है जो प्राणी स्वयं कोशिश करता है। नारी का उद्धारा उसके स्वयं के इच्छा–शक्ति से होगा।

आज 21वीं सदी की नारी कितनी सशक्त है यह जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि शक्ति का स्रोत क्या है? इस संदर्भ में विनोबा जी ने लिखा है कि–शक्ति का जो मूल स्रोत है वह स्त्री एवं पुरूष के शरीर में न होकर उसके अन्तरात्मा में है। अन्तरात्मा स्त्री–पुरूष भेद रहित है।

इससे स्पष्ट है कि शक्ति हमेशा अन्तरात्मा से आती है, शरीर से नहीं उल्लेखनीय है कि श्री विनोबा शारीरिक रूप से भी महिला को कमजोर नहीं मानते है। उनके अनुसार पुरूष 2000 कैलोरी का आहार ग्रहण करता है एवं महिला 1600 कैलोरी का फिर भी वह किसी भी प्रकार पुरूषों से कमजोर नहीं है। उनके अनुसार शेरनी कभी शेर से कमजोर नहीं होती है, वह स्वयं स्वरक्षित है। आज दुनिया के लगभग सभी संविधान स्त्री–पुरूष मे भेद किए बगैर

स्त्रियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक अधिकार दे रहे है। उदाहरण के तौर पर भारत के वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक मंचों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि केन्द्रीय एवं प्रान्तीय दोनों सत्ताओं का नेतृत्व स्त्रियां ही कर रही है।

भारत के इतिहास मे प्रथम बार महिला राष्ट्रपति के रूप में महामहिम श्रीमति प्रतिभा पाटिल भारी बहुमत से पदासीन हुई है। भारत के प्रधानमंत्री का पद श्रीमति गांधी जैसे प्रखर प्रतिभासम्पन्न महिला सुशोभित हो चुकी है। आज अन्तरिक्ष में महिलाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो चुकी है, जहां कल्पना चावला ने अन्तरिक्ष मिशन यज्ञ में आहुति दी, वहीं सुनीता विलियम ने अपनी अन्तरिक्ष यात्रा सफलता पूर्वक सम्पन्न की है। महिलाएं सेना एवं खेलकूद में भी आगे निकल रही है। अब शायद महिलाएं अपनी शक्ति पहचान चुकी है। जिस दिन महिला में विनोबा के सपनों की अध्यात्मिक शक्ति जगेगी, उस दिन से ही विश्व का कायाकल्प हो जायेगी और वैश्विक कल्याण हो सकेगा।

आचार्य विनोबा भावे ने स्त्रियों में शील रक्षा (चरित्र–रक्षा) की बात की है, साथी ही स्वरक्षा की भी बात कही है। मेरी दृष्टि मे यह बहुत बड़ा विचार है। आज समाज में जिस तरह नैतिकता का ह्रास हुआ है उसमें उनका विचार अत्यन्त ही महत्व रखता है।

संदर्भ–सूची

1. डा0 अन्जू शुक्लाः आधुनिक नारी एवं महिला सशक्तिकरण, पृ0 28–32
2. डा0 अन्जू शुक्लाः आधुनिक नारी एवं महिला सशक्तिकरण, पृ0 33–36